भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायला अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायलान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा बलाडा भू-अभिलेख निरीक्षक बलाडा तहसील जैतारण में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 1.3274 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1180 रकबा 1.6997 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1210 रकबा 2.4524 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 974 रकबा 1.7321 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं 972 रकबा 4.1925 किस्म बारानी अव्वल में सायला के हक-हिस्से का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर(राज.)

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर(राज.)